उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1690/VII-1/2018/38 सोपस्टोन/16
देहरादून, दिनांकः 9 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2018
कार्यालय ज्ञापन

जनपद पिथौरागढ़, तहसील गंगोलीहाट के ग्राम सनरखोला के क्षेत्रान्तर्गत कुल 11.827 है० भूमि में सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु मै० सी०एम०डी० माईन्स एण्ड मिनरल्स, 6/865 बलूटिया बिल्डिंग, बद्रीपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के आवेदन पत्र दिनांक 15.9.2016 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1858/VII-1/38–सोपस्टोन/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा मै० सी०एम०डी० माईन्स एण्ड मिनरल्स, 6/865 बलूटिया बिल्डिंग, बद्रीपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद पिथौरागढ़, तहसील गंगोलीहाट के ग्राम सनरखोला के क्षेत्रान्तर्गत कुल 11.827 है० में 50 वर्ष की अवधि हेतु सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–848/मु०ख०/19/पिथौ०/भू०खनि०ई०/2016–17, दिनांक 13 जुलाई, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मै० सी०एम०डी० माईन्स एण्ड मिनरल्स, 6/865 बलूटिया बिल्डिंग, बद्रीपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद पिथौरागढ़, तहसील गंगोलीहाट के ग्राम सनरखोला, पोखरी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 11.827 है० भूमि पर सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.12.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुमति को छोड़कर शेष शर्तों की अनुपालना किये जाने तथा आशय पत्र की अनुपालना में हुए लगभग 13 माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए शासनादेश संख्या–121/VII-1-17/68–ख/2015, दिनांक 27 फरवरी, 2017 एवं उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार जनपद पिथौरागढ़, तहसील गंगोलीहाट के ग्राम सनरखोला, पोखरी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 11.827 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार सोपस्टोन का 50 (पचास) वर्ष की अवधि का खनन पट्टा निम्नवत् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

1	उपखनिज का नाम	सोपस्टोन
2	क्षेत्रफल	ग्राम सनरखोला, पोखरी, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ के अन्तर्गत :– 1. खेतिहरः सनरखोला– श्रेणी 1(क) 2.681 है०, श्रेणी 4(क) 0.028 है०, श्रेणी 7(क) 0.007 है० कुल 2.716 है० 2. पोखरी– श्रेणी 1(क) 4.069 है०, श्रेणी 4(क) 1.824 है०, श्रेणी 7(क) 0.899 है० कुल 6.792 है० 3. बंजर–सनरखोला श्रेणी 9(3)ड 0.793 है० 4. पोखरी – श्रेणी 9(3) ड 0.984 है० 5. वन विभाग–शून्य 6. सुरक्षित –शून्य 7. असुरक्षित–शून्य 8. निहित–शून्य अन्यः सनरखोला– रास्ता 10(2) 0.035 है० रौली व गुल 10(1) 0.246 है० कुल 0.281 है० पोखरी– रास्ता 10(2) 0.101 है० रौली व गुल 10(1) 0.160 है० **कुल योग 11.827 है०** **(नाप भूमि 9.508 है० बेनाप 2.319 है०)** एक संहत खण्ड में खसरा विवरण पत्र एवं मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरावार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	खनन पट्टा के पंजीयन की तिथि से 50 वर्ष
4	अपरिहार्य भाटक	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के द्वितीय अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।

5	स्वामित्व (रायल्टी)	उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
6	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार

अतिरिक्त शर्तेः

7.1. शासनादेश के दिनांक से छः माह के भीतर समुचित पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो शासनादेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही आवेदन शुल्क जब्त करते हुये प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

7.2 वन विषयक यदि स्वीकृत क्षेत्र का कोई भाग वन भूमि में पाया जाता हो या घोषित होता है, पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

7.3. पट्टाधारक को खनन के दौरान विलेख की शर्तो/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

7.4. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।

7.5. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

7.6. आवेदक को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारित समिति (SEIAA)/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारित समिति (SEIAA)/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आवेदक को प्रस्तावित क्षेत्र में खनन करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

7.7. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारित समिति (SEIAA)/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों की अनुपालना किया जाना अनिवार्य होगा।

7.8. पट्टाधारक द्वारा अपरिहार्य भाटक की देयता पट्टा विलेख के दिनांक से देय होगी।

7.9. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

7.10. स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

बृजेश कुमार संत
अपर सचिव

संख्याः 1690 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. मै० सी०एम०डी० माईन्स एण्ड मिनरल्स, 6/865 बलूटिया बिल्डिंग, बद्रीपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को उक्तानुसार खनन पट्टा विलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के माध्यम से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव